

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)


अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर

जसविन्द्र सिंह बनाम बग्गा सिंह आदि

किस्म मुकदमा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 धारा 151 सीपीसी नम्बर 7 सन्.2021

जीसीएमएस आईडी 2021/100.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
04.03.2021	<p>प्रार्थी जसविन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति रायसिख निवासी 7 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय के प्र.सं. 16/2018 अनवान जसविन्द्र सिंह बनाम बग्गा सिंह अन्तर्गत 88-92ए आर.टी.एक्ट दिनांक 10.02.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया हैं। वकील प्रार्थी दिनांक 10.02.2021 के ओदश को अपास्त कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर कार्यवाही हेतु निवेदन किया। मूल रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पूर्व में तलबी हेतु विचाराधीन था। प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। अतः आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत वादी को पुनः नया वाद न्यायालय में पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर</p>	

